

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 17.02.2026

कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी कर जमीन पट्टा कराने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2026 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0सं0 से संबंधित अभियुक्त सुबाष पुत्र लालचन्द्र निवासी संग्रामपुर उनवल पो0 उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी के गांव की जमीन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम पट्टा करा लेने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुबाष पुत्र लालचन्द्र निवासी संग्रामपुर उनवल पो0 उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 80/2026 धारा 420/467/468/471/120बी भा0द0सं0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 आदर्श पाण्डेय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. का0 हेमन्त कुमार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर